

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

केवाराण पुत्र पनाराम जी, जाति-कुम्हार, निवासी-माकरोडा, तह. व जिला- सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरौही, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 52/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक 10 फरवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 29/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 बाबत ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 811 रकबा 0.24 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं था एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व के कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। यह कि विवादित भूमि अपीलार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1370/817 से लगती हुई है जिस पर अपीलार्थी का अपने बाप दादाओं के समय से पुराना कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। विवादित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियमन किये जाने योग्य है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के आदेश को



ब.स. जिला कलक्टर
सिरौही (पञ्च)



निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 824 रकबा 0.24 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर कब्जा व बाड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी पश्चातवर्ती नोटिस में अपीलार्थी ने पूर्व में विवादित भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था, का उल्लेख नहीं किया है, जबकि विधि अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण के नोटिस में पूर्व में कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 में भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व में कौनसे वर्ष में अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 29/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरौही

